न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./7320/2006/बून्दी

आणंदी सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मैणा, तहसील नैनवॉ, जिला बून्दी।

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र श्री धनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मैणा, तहसील नैनवॉ, जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 01-10-2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 120/2006 शीर्षक भंवरसिंह बनाम अणदी सिंह में पारित निर्णय दिनांक 29-09-2006 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी अणदी सिंह के पक्ष में अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आराजी स्थित ग्राम मैण तहसील नैनवास, खसरा नम्बर 74 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 7 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा, 7/335 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा दिनांक 26-10-1977 को आवंटित की गई थी। अपीलार्थी/हस्तगत अपील के रैस्पो0 संख्या-1 भंवर सिंह द्वारा खसरा संख्या 74/2-04 बीघा एवं खसरा नम्बर 7 मीन रकबा 17-09 बीघा में से 10 बीघा पर स्वयं का कब्जा बताते हुये खसरा नम्बर 74 व 7 के आवंटन को निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन), नियम-1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र अति0 कलक्टर, बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अति0 कलक्टर, बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 20-3-2006 से खारिज किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 29-09-2006

से अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3 – अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4– अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 7 मिन रकबा 2–10 बीघा एवं 74 रकबा 2 बीघा का आवंटन अन्य खसरा नम्बरान के साथ किया गया था और कब्जा मौके पर दिया गया था, आवंटी–अपीलार्थी का विधिवत रुप से मौके पर कब्जा चला आ रहा है। इस आवंटन को निरस्त कराने हेतु रैस्पो0 की ओर से अति0 कलक्टर के न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसे दिनांक 20–3–2006 को अति0 कलक्टर, बूँदी ने विधिवत परीक्षण उपरान्त खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी सक्षम आधार के इस निर्णय को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–9–2006 के द्वारा निरस्त किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी वह स्पष्ट रुप से मियाद बाहर पेश की गई थी और अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर कोई परीक्षण किये बिना और कोई आदेश पारित किये बिना अविधिक रुप से गुणावगुण पर परीक्षण कर अपील को स्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने समक्ष आदेश 41 नियम 27, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इसके साथ में इकरार नामा तथा राजीनामा की फोटो कॉपी प्रस्तुत की हैं जो कि सत्यापित दस्तावेज नहीं है। इनके आधार मात्र पर अपीलार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन को निरस्त किया गया है। पक्षकारान के मध्य ना तो राजीनामा कभी हुआ है और ना ही किसी प्रकार का इकरारनामा प्रस्तुत किया गया था, अतः इन फोटो प्रतियों को निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि आवंटन के परीक्षण के प्रकरण में मात्र यह तय करना होता है कि आया आवंटन विधिसम्मत है या नहीं ? आवंटन को चुनौती देने के प्रकरण को इकरारनामा या राजीनामा के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जा कर अति0 कलक्टर, बूँदी के निर्णय को यथावत रखा जाए।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि अपीलार्थी के पक्ष में जो भूमि आवंटित की गई है, उस पर आवंटी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है बल्कि प्रस्तुत किए गए राजस्व रिकार्ड से रैस्पो0 के कब्जे की पुष्टि होती है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है, जो आवंटन किया गया है उसमें आवंटन कमेटी के सदस्यों का कोरम ही

पूर्ण नहीं रहा है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में ये भी कथन किया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में समझौता हो गया था जिसके अनुसार अपीलार्थी पक्ष ने रैस्पो0 के कब्जे को स्वीकार किया है। कब्जा नहीं होने से ही अपीलार्थी के पक्ष में लम्बे समय तक खातेदारी अंकित नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रुप से परीक्षण करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय में मियाद के बिन्दु पर भी विचार किया है, अतः यह नहीं माना जा सकता है कि मियाद के बिन्दु पर परीक्षण नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27, सी0पी0सी0 के साथ में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वे प्रकरण के निस्तारण में आवश्यक होने से ही अधीनस्थ न्यायालय ने इन्हें निर्णय का आधार बनाया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील को सारहीन बताते हुये खारिज करने का निवेदन किया।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अणदीसिंह के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 26–10–1977 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थी भंवर सिंह की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 को, परीक्षण उपरान्त दिनांक 20–3–2006 से खारिज कर आवंटन की पुष्टि की है। उक्त निर्णय दिनांक 20–3–20.06 के विरुद्ध शिकायतकर्त्ता/वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 के द्वारा दिनांक 07–04–2006 को अपील प्रस्तुत की है और अपील मीमो के मद संख्या 10 में अपील पेश करने में हुई इस देरी को न्यायोचित सिद्ध करने के कारण अंकित किए हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को तय किये बिना ही निर्णय दिनांक 29–9–2006 पारित किया है जब कि सर्वप्रथम न्यायालय को मियाद के बिन्दु को तय करना आवश्यक था। इसके अलावा प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 16–9–2006 को भंवर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ में फोटो प्रति सहमति राजीनामा प्रस्तुत की गई है, इस पर प्रत्यर्थी पक्ष को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है क्योंकि दिनांक 16–9–2006 की आदेशिका के अनुसार इस दिनांक को प्रकरण में अंतिम बहस सुन कर प्रकरण को वास्ते निर्णय नियत किया गया है और इसी दिन यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थी पक्ष को इस दस्तावेज के रिबटल का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। पाया जाता है कि

निर्णय का आधार भी, इसी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को बनाया गया है जब कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी उसमें मुख्य रुप से परीक्षण योग्य बिन्दु था कि आया आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन विधिसम्मत है या नहीं। आवंटन की वैद्यता के परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई अपील में राजीनामा/इकरार नामा को आधार बनाया जाना उचित कार्यवाही नहीं है। अतः प्रकरण के सम्पूर्ण रुप से परीक्षण उपरान्त हमारा मत है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों की अनुपालना निर्णय पारित करने में नहीं की है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

8- फलतः अपील अपीलार्थी आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-09-2006 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण करते हुये विधिसम्मत निर्णय, इस निर्णय से 03 माह की अवधि में पारित करें। उभय पक्ष दिनांक 25-10-2018 को राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य